न्यायालय कलेक्टर छतरपुर, जिला–छतरपुर (म0प्र0).

रा0प्र0क्र0 0123/अ–20(3)/2025–26

मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड,
डायरेक्टर श्री अजयपाल सिंह परमार, सागर रोड ढड़ारी,
जिला–छतरपुर(म0प्र0). ....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन...अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 26/12/25)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदक मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, डायरेक्टर श्री अजयपाल सिंह परमार, सागर रोड ढड़ारी, जिला छतरपुर (म0प्र0) ने पत्र क्रमांक 621/के.एम.पी.एल./2025 दिनांक 28/10/2025 द्वारा म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग "मंत्रालय" भोपाल के क्रमांक एफ 3–25/2018/12/1 दिनांक 04/07/2018 से ग्राम माचीगढ़ जतारा टीकमगढ़ के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 262 के रकवा 19.000हेक्टेयर क्षेत्र पर पायरोफिलाईट/डायस्पोर खनिज की अनुमति प्रदाय किये जाने से ग्राम–करोरा तहसील बक्स्वाहा स्थित शासकीय भूमि ख0नं0 13/1/1/2/1 के अंश रकवा 19.000हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने हेतु म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश2020 दिनांक 24/09/2020 से प्रभावशील प्रावधानों के तहत प्रारूप एक पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा द्वारा प्रकरण क्र0 0014/अ–20(3)/2025–26 प्रतिवेदन दिनांक 25/11/2025 में प्रतिवेदित किया है कि मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड सागर रोड ढड़ारी जिला छतरपुर, डायरेक्टर श्री अंजयपाल सिंह परमार द्वारा म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग "मंत्रालय" भोपाल के क्रमांक एफ 3–25/2018/12/1 दिनांक 04/07/2018 से ग्राम माचीगढ़ जतारा टीकमगढ़ के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 262 के रकवा 19.000हेक्टेयर क्षेत्र पर पायरोफिलाईट/डायस्पोर खनिज की अनुमति प्रदाय किये जाने से ग्राम–करोरा तहसील बक्स्वाहा स्थित शासकीय भूमि ख0नं0 13/1/1/2/1 के अंश रकवा 19.000हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने के संबंध में पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं ग्राम–पंचायत वीरमपुरा, वन परिक्षेत्राधिकारी बक्स्वाहा, विद्युत विभाग, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग बिजावर, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छतरपुर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र जारी किया गया। ग्राम–पंचायत वीरमपुरा, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग बिजावर, विद्युत विभाग बक्स्वाहा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रकरण संलग्न हैं शेष विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने से यह मान लिया गया है कि उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है मानकर ग्राम–करोरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0 13/1/1/2/1 रकवा 395.346हे0 में से रकवा 19.000हे0

//2//

न्यायालय कलेक्टर (नजूल) जिला छतरपुर (म.प्र.)

भूमि उपयुक्त होने से कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2025–26 अनुसार ग्राम–करसेरा की सिंचित भूमि का मूल्य–3,08,800/– रूपये प्रति हे0 है। मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ–101/2019/07–3 भोपाल दिनांक 05/01/2021 के अनुसार किसी निजी कंपनी/भारत सरकार की कंपनी/निजी संस्थाओं को परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति दी जाती है, तो इन मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय राजस्व भूमि ऐसी भूमि के लिए सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा बराबर के राशि उपरिवर्णित अपेक्षित निकाय से लेकर वन विभाग को प्रतिपूर्तिवनीकरण (वैकल्पिक वनीकरण) उपलब्ध कराई जावें, जिसके अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि–3,08,800/–प्रति हे0 के मान से रकबा 19.000हे0 भूमि का बाजार मूल्य रू0 93,87,520/–रू0 (रूपये–तिराने लाख सतासी हजार पॉच सौ बीस मात्र।) (308800X19X1.6) होता है। आवेदित निकाय से नियमानुसार राशि जमा कराई जाकर वन विभाग को वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने हेतु प्रकरण अ0वि0अ0 बिजावर को प्रेषित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा प्र0क्र0 0040/अ–20(3)/2025–26 प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2025 में प्रतिवेदित किया है कि तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम–करसेरा तहसील बक्स्वाहा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0 13/1/1/2/1 रकबा 395.346हे0 मेंसे रकबा 19.000हे0 भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2025–26 अनुसार ग्राम–करसेरा की सिंचित भूमि का मूल्य–3,08,800/– रूपये प्रति हे0 के मान से 19.000 हे0 का बाजार मूल्य–58,67,200/–(रू0 अन्ठावन लाख सरसठ हजार दो सौ मात्र।) होता है, जिसका 1.6गुणा के मान से कुल राशि–93,87,520/–रू0 (रूपये–तिराने लाख सतासी हजार पॉच सौ बीस मात्र।) होने से उक्त राशि जमा कराई जाकर म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 दिनांक 24.09.2020 के तहत वन विभाग को वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण बावत प्रकरण अनुशंसा सहित सादर प्रेषित किया।

वन मण्डलाधिकारी(सा.) वनमण्डल छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक/तकनीकी/2025/2244 दिनांक 03/11/2025 में लेख किया गया है कि वनमण्डल टीकमगढ़ के परिक्षेत्र जतारा के ग्राम माचीगढ़ के आर.एफ.–262 के रकबा 19.000हे वनभूमि के एवज में ग्राम–करसेरा तहसील बक्स्वाहा जिला छतरपुर के खसरा नं0 13/1/1/2/1 रकबा 19.000हे0 राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपयुक्तता संबंधी जानकारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2014/918 दिनांक 22/3/2014 द्वारा पूर्व में कलेक्टर खनिज शाखा जिला छतरपुर को प्रेषित की जा चुकी है जिसकी प्रति संलग्न की है।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 15/12/2025 को आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा मौजा–करसेरा स्थित खसरा नं0 13/1/1/2/1 रकबा 395.346हे0 मेंसे रकबा 19.000हे0 भूमि मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ–101/2019/07–3भोपाल दिनांक 05/01/2021 के अनुसार किसी निजी कंपनी/भारत सरकार की कंपनी/निजी संस्थाओं को परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति दी जाती है, तो इन मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय राजस्व भूमि ऐसी भूमि के लिए सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा बराबर के राशि उपरिवर्णित अपेक्षित निकाय से लेकर वन विभाग को प्रतिपूर्ति

//3//

Scanned with CamScanner

वनीकरण (वैकल्पिक वनीकरण) उपलब्ध कराई जावे के निर्देशानुसार कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार ग्राम–करोरा की सिंचित भूमि का मूल्य– 3,08,800– रूपये प्रति हे0 होने से सिंचित भूमि मूल्य के मान से रू0 93,87,520/–रू0 जमा कराया जाकर वन विभाग को वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नजूल अधिकारी जिला छतरपुर के प्रतिवेदन दिनांक 17/12/2025, अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर के प्रतिवेदन दिनांक 26/11/2025 एवं तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा के प्रतिवेदन दिनांक 25/11/2025 तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 15/12 /2025 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड सागर रोड ढड़ारी जिला छतरपुर, डायरेक्टर श्री अजयपाल सिंह परमार द्वारा ग्राम माचीगढ़ जतारा टीकमगढ़ में प्रभावित 19.000हे0 वन भूमि के एवज में ग्राम–करोरा स्थित गैर वन भूमि खसरा 13/1/1/2/1 रकबा 395.346हे0 मेंसे रकबा 19.000हे0 भूमि का वर्ष 2025–26 की कलेक्टर गाईड लाइन अनुसार सिंचित भूमि का बाजार मूल्य–3,08,800/–रू0 है कुल रकबा 19.000हे0 का बाजार मूल्य– 58,67,200/–(रू0 अन्ठावन लाख सरसठ हजार दो सौ मात्र।) होता है, जिसका 1.6गुणा के मान से कुल राशि–93,87,520/–रू0 (रूपये–तिरानबे लाख सतासी हजार पॉच सौ बीस मात्र।) होता है जो आवेदित फर्म द्वारा चालान क्रमांक 051/9999999/0029/12/25/107931 दिनांक 22/12/2025 से राशि–93,87,520/– रू0 लेखा शीर्ष 0029–00–800–0015 में भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जां चुकी है।

अतः मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश,2020 की अध्याय–दो अन्तर्गत कण्डिका–16 एवं 17 के तहत् ग्राम–करोरा, रा.नि.मं0 बक्स्वाहा तहसील बक्स्वाहा जिला छतरपुर स्थित खसरा क्रमांक 13/1/1/2/1 रकबा 395.346हे0 मेंसे रकबा 19.000हे0 शासकीय भूमि प्रत्यावर्तन अन्तर्गत वन विभाग को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वनीकरण हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है–

1– यदि आवेदक फर्म पर्यावरण अनापत्ति/अनुमति प्रस्तुत नहीं करते है तो यह आदेश एवं इस आदेश की समस्त अंतरवर्तीय प्रक्रियाएं एवं आदेश स्वमेव शून्यवत होगे।

2– वन विभाग के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतरित भूमि का भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अधीन उपयोग न करने की स्थिति में अथवा तदानुसार अतिक्रमण आदि होने पर वन विभाग दायित्वाधीन होगा।

3– पर्यावर्णीय अनुमति प्राप्त होने पर ही वन विभाग अंतरित भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग करेगा।

4– उपरोक्त समस्त संक्रियाएं एवं प्रक्रियाएं संपादित करना आवेदक फर्म एवं वन विभाग के दायित्व के अधीन होगा।

5– आलोच्य आदेश टी0एन0 गोदावर्मन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डब्ल्यू.पी.नं0 171/96 एवं डब्ल्यू.पी.(सी) 202/95 निर्णय दिनांक 12/12/1996 के अध्यधीन होगा।

6– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव शून्यवत हो जावेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर, चौहद्दी बताते हुये कब्जा देकर हस्तांतरित भूमि नक्शे में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

कार्यालय कलेक्टर (राजस्व) जिला छतरपुर (म.प्र.)

(पार्थ जैसवाल)
कलेक्टर
जिला-छतरपुर(म0प्र0).

पृ0क्र0 0123 / अ-20(3) / 2025-26 छतरपुर, दिनांक 26 / 12 / 2025

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग,"मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
2- सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग,"मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
3- कमिश्नर, सागर संभाग, सागर।
4- वन संरक्षक, छतरपुर वृत छतरपुर,म0प्र0।
5- वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल छतरपुर, म0प्र0।
6- अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर, जिला-छतरपुर(म0प्र0)
7- तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा, जिला छतरपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8- मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड, डायरेक्टर श्री अजयपाल सिंह परमार, सागर रोड ढ़ड़ारी, जिला-छतरपुर(म0प्र0)

कलेक्टर,
जिला-छतरपुर(म0प्र0).

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

CamScanner
Scanned with CamScanner

CLR No. : 25014015857

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: कसेरा			पटवारी हल्का: वीरमपुरा			तहसील: बकस्वाहा		जिला: छतरपुर			वर्ष: 2025-2026
									फसल के ब्यौरे		
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2.दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600010932 82A37EDCAEAFH0	13/1/1/2/1/2 (S)		19.0000 हेक्टेयर रु. 0.00	(शासकीय) वन विभाग शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमाक ०००२/अ-५९/व्यवर्तन/2020-21 आदेश दिनांक १५/१२/2020 के अनुसार 84.000 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया गया। म.प्र.शासन वनभूमि-57.21 बंदर डायमंड प्रोजेक्ट हेतु रकबा ३८२.१३१ हे आरक्षित न्यायालय कलेक्टर महोदय छतरपुर का आदेश प्र क्र ००१/अ ५९/व्यपवर्तन/२०-२१ आदेश दिनांक ०७/०८/२०२० के अनुसार न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0023/अ-20(1)/2021-22, आदेश दि. 01/10/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | नामांतरण(अन्य)प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/भूह/17-18 आ.दि. 12/10/2017 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है| न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0587/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 13/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | दि.18/08/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया | दि.17/12/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0588/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 24/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायलय कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 0123-अ-20(3)-2025-26, आदेश दि. 26-12-2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2026.01.27 15:35:53 IST
Reason: Digital Extract of Land Record- Khasra Copy
CLR No. : 25014015857

Scanned with CamScanner

पंचनामा

पंचनामा लिख दिया गया कि हम पंचान ग्राम कसेरा वालो ने कि आज दिनांक 29.01.2026 को राजस्व निरीक्षक बकस्वाहा एवं हल्का पटवारी द्वारा आवेदक मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्राइवेट लि० छतरपुर द्वारा जिला टीकमगढ़ वन मण्डल टीकमगढ़ के वन कक्ष क्रमांक आर. एफ 262 के रकवा 19.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर पायरोफिलाइट/डायस्पोर खनिज की अनुमति प्रदान किये जाने से ग्राम कसेरा तहसील बकस्वाहा स्थित शासकीय भूमि ख०नं० 13/1/1/2/1/2 के अंश रकवा 19.000 हे० भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने हेतु म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अनुसार गैर वन भूमि, न्या० कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर के प्र०क्र० 0123/अ-20 (3) 2025-26 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा अभिहस्तांकित की गई जिसके सीमांकन हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय आदेश दिनांक 23.01.2026 के पालन में मौके पर जाकर वन परिक्षेत्र अधिकारी बकस्वाहा हमराह परिक्षेत्र सहायक निमानी, बीटगार्ड जगारा, बीटगार्ड कसेरा एवं कम्पनी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि की उपस्थिति में वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा अभिहस्तांकित भूमि 19.000 हे० का संयुक्त सीमांकन किया गया। सीमांकन कर भूमि की चारो सीमाओं पर नौ बिन्दुओं पर मुनारे बनवाए व वन विभाग को कब्जा दिया गया। उक्त भूमि मौका पर खाली है एवं अतिक्रमण मुक्त है। वन विभाग द्वारा मौका पर सभी नौ बिन्दुओं की जी०पी० एस० रीडिंग ली गई।

पंचनामा लिखा पढ़ा गया वक्त पर काम आवे।

(हस्ताक्षर) तहसीलदार, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.)

(हस्ताक्षर) Jain 29.01.08

(हस्ताक्षर) प० स० निमानी

(हस्ताक्षर) रा.नि. बकस्वाहा

(हस्ताक्षर) व.र. कसेरा

(हस्ताक्षर) पटवारी

(हस्ताक्षर) व.र. जगारा

(हस्ताक्षर) A. Kumar — खजुराहो मिनरल्स प्रा. लि. प्रतिनिधि

(हस्ताक्षर) RO Buxwaha

Scanned with CamScanner

ग्राम कसेरा खसरा नं. 13/1/1/2/1/2

रकबा 19.000 हैक्टेयर हस्तांतरित भूमि की GPS रीडिंग

① N-24°19'41.250" E-79°20'04.940"

② N-24°19'16.930" E-79°20'10.990"

③ N-24°19'15.980" E-79°20'02.520"

④ N-24°19'34.600" E-79°19'57.360"

⑤ N-24°19'35.270" E-79°19'59.870"

⑥ N-24°19'39.220" E-79°20'00.130"

⑦ N-24°19'42.030" E-79°19'56.520"

⑧ N-24°19'44.370" E-79°19'56.200"

⑨ N-24°19'43.710" E-79°20'01.540"

RO BUNDELA

तहसीलदार
तहसील बकस्वाहा
जिला छतरपुर (म.प्र.)

रा.नि.
बकस्वाहा

P.V.H.06

A. Parmar
प्रतिनिधि
खजुराहो मिनरल्स प्रा. लि.

पटवारी
लौंडाखेरा

प. ह. सिमारी

Scanned with CamScanner

राजस्व भूमि हस्तांतरण प्रमाण पत्र

कलेक्टर महोदय छतरपुर के आदेश प्र०क्र० 0123/अ 20(3
2025-026 दिनांक 26.12.2025 के परिपालन में आज दिनांक 29.
2026 को ग्राम कसेरा तहसील बकस्वाहा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं० 13/1/1/2/1/2 रकबा 19.000 हेक्टेयर राजस्व भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं दखल रहित म०प्र० शासन वन विभाग को जरिए वन परिक्षेत्र अधिकारी बकस्वाहा हस्तांतरित की गई।

हस्तांतरित राजस्व भूमि को राजस्व अभिलेख में वन विभाग को हस्तांतरित दर्ज की गई।

हस्तांतरण कर्ता
तहसीलदार
तहसील बकस्वाहा
जिला छतरपुर (म.प्र.)

प्राप्त कर्ता
R.O. Buxwaha

प०स० सिपानी

बकस्वाहा

P.M.N.O.

प्रतिनिधि -
खजुराहो मिनरल्स प्रा. लि.